कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक— 2409 /11—सी—FP/UP/Trans/32650/2018, लखनऊ, दिनांकः फरवरी 17 ,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः— उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि0, वाराणसी द्वारा 400 के0वी0 अनपरा—वाराणसी डबल सर्किट पारेषण लाइन के निर्माण में प्रभावित रेनुकूट वन प्रभाग में 98.28 हे0 आरक्षित वनभूमि, ओबरा वन प्रभाग में 113.048 हे0 आरक्षित वनभूमि, सोनभद्र वन प्रभाग में 15.79 हे0 आरक्षित वनभूमि, मीरजापुर वन प्रभाग में 37.51 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग में 54.652 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल प्रभावित 319.28 हे0 आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्रांक—1073/11—सी—FP/UP/Trans/32650/2018, दिनांक 28.09.2021 तथा आपका पत्रांक—3365/मी0क्षे0/33, दिनांक 25.01.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का निराकरण एवं वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किये गये उल्लंघन के संबंध में सूचना/अभिलेखों सहित संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25.01.2022 के द्वारा सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त पुनः निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया हैः—

1. इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.09.2021 के द्वारा इंगित कमियों के निराकरण के क्रम में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न किये गये दिनांक 06.10.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में विचारोपरान्त निम्नलिखित मत स्थिर किया गया हैः—

   "चूकि भारत सरकार के पत्र सं0—8—197/91—एफ0सी0, दिनांक 01.11.1993 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत दी गयी अनुमति में कोई समय सीमा वर्णित नहीं थी, ऐसे में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भूमि का प्रयोग वर्ष 2014 के उपरान्त किये जाने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।"

   उक्त के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा आहूत बैठक में विषयगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन के पत्रांक—जीआई—444/14—2—93—707/89, दिनांक 08/23.02.1994 द्वारा निर्गत विज्ञप्ति में वर्णित शब्दों ***"मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद को उक्त योजना हेतु 319.28 हे0 वनभूमि 20 वर्षों हेतु लीज पर दिये जाने की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या—8—197/91—एफ0सी0, दिनांक 01.11.1993 में निहित शर्तों एवं निम्न शर्तों (विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तें) पर प्रदान करते है।"*** का संज्ञान नहीं लिया गया है। अतः प्रकरण में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत उक्त विज्ञप्ति में अधिरोपित शर्तों का भी संज्ञान लेते हुये कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28.09.2021 के द्वारा इंगित कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव प्रेषित करें।

2. प्रस्ताव में संलग्न किया गया एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 के द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार नहीं है। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 के द्वारा जारी संशोधित दरों के अनुसार समस्त सम्बन्धित वन प्रभागों की एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न करें तथा पूर्व का त्रुटिपूर्ण गणना ऑनलाइन भाग—2 से डिलिट कर संशोधित गणना ऑनलाइन अपलोड करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कर उपरोक्तानुसार इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>पत्रांकः— 2409 /11—सी— FP/UP/Trans/32650/2018, दिनांकित।</u>

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, सोनभद्र, मीरजापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड—द्वितीय—14/74ए—2 अन्धरापुल, वाराणसी।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-175